(b) if so, what are the details thereof**?**

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) No, **Sir.** The subject 'prisons' being a State subject is administered by the State Government under their own Rules, Regulations **and** prison manuals.

झूठे जाति प्रमाण पत्र के लिए पैनल द्वारा गुजरात पर अभ्यारोपण

2970. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 दिसम्बर, 1994 को दैनिक टेलीग्राफ में प्रकाशित "पैनल इंडिक्ट्स गुजरात फॉर फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट्स" शीर्षक के समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुजरात राज्य में बड़ी संख्या में झूठे अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र जारी किये है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां । तथापि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार इसने गुजरात सरकार को झूठे जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए केवल सचेत किया है ।

(ख) और (ग) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के प्राधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास निहित नहीं है और इसलिए आयोग द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकार

2971. **श्री सुशील कुमार सम्भाजीराव शिन्दे** :
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किये गये उपायों की तरह महिलाओं को पर्याप्त संपत्ति अधिकार देने सहित अन्य अधिकार देने और नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के संबंध में व्यापक उपाय शुरू करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं को पर्याप्त संपत्ति अधिकार तथा नौकरियों में आरक्षण सहित शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए किए गए व्यापक उपाय के ब्यौरे प्राप्त करके उसकी जांच की जाएगी तथा उसके बाद सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा ।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग

2972. **श्री आस मोहम्मद** :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1994 की तारीख को अनुसूचित जाति के कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं ;

(ख) सरकार द्वारा इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या कदम उठाये गये है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1991 की जनगणना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुमानित आंकड़ नहीं प्रदान करती है । फिर भी, नवीनतम उपलब्ध सूचना वर्ष 1987-88 से संबंधित है, और जिसके अनुसार यह अनुमान है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित 41.47% अनुमानित जनसंख्या उस वर्ष में गरीबी की रेखा से नीचे थी ।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए समाज के इस वंचित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक नई नीति छठी योजना से शामिल की गई है जिसे निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है :—

(1) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना;

(2) विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता;

(3) राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगमों की स्थापना;

(4) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम;

(5) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (केन्द्रीय प्रायोजित);

(6) अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति ;

(7) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित) ;

(8) पुस्तक बैंक (केन्द्रीय प्रायोजित);

(9) लड़कियों के लिए होस्टल (केन्द्रीय प्रायोजित);

(10) लड़कों के लिए होस्टल (केन्द्रीय प्रायोजित);

(11) कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) (केन्द्रीय प्रायोजित);

(12) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (केन्द्रीय);

(13) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को लागू करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना (केन्द्रीय प्रायोजित);

(14) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास (केन्द्रीय);

(15) अत्यन्त अल्प साक्षरता स्तरों की अनुसूचित जाति से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम;

(16) अनुसंधान और प्रशिक्षण (केन्द्रीय)।

संशोधित वक्फ अधिनियम

2973. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संशोधित वक्फ अधिनियम, 1984 का पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण है ; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984, को मुस्लिम सम्प्रदाय की विचारधारा के विभिन्न क्षेत्रों से उठाई गई आपत्तियों के कारण पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सका। केवल धारा 66 जी और 66 एच लागू की गई है।

(ख) संशोधन अधिनियम के प्रति प्रमुख आपत्तियां निम्न प्रकार थी :—

(1) यह कि वक्फ आयुक्त को अधिभावी शक्तियां प्रदान की गई थीं;

(2) वक्फ बोर्ड पूर्णतः स्वायत्त निकाय नहीं थे। सुझाव था कि या तो पूर्णतः अथवा मुख्यतः निर्वाचित निकाय हो;

(3) वक्फ (संशोधन) अधिनियम में प्रयुक्त विशिष्ट अभिव्यक्तियों के संकेतार्थों के बारे में शंका व्यक्त की गई थी।

(ग) मुस्लिम मंत्रियों, संसद सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात् एक विधेयक अर्थात् वक्फ विधेयक, 1993 राज्य सभा में दिनांक 27 अगस्त, 1993 को प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के प्रावधान विद्यमान वक्फ अधिनियमों का स्थान लेंगे और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के संबंध में उठाई गई आपत्तियों का समाधान उस हद तक करेंगे जो बैठक के दौरान आम सहमति के आधार पर तय की जा सके।

Reservation for Backward Classes ia Private Sector

2974. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether with a view to open up more employment opportunities for backward classes in the country, Government propose to extend reservation for .backward classes in the private sector also;

(b) if so, what steps are contemplated by Government in this regard; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, whether Government would consider the matter ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no provision in the Constitution under which reservation for Backward Classes in the Private Sector can be provided.

मुसलमानों के लिए आरक्षण

2975. **श्री चिमनभाई मेहता :**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने हाल ही में मुसलमानों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के संबंध में विचार व्यक्त किए है ;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री के विचार व्यक्तिगत है या सरकार के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं ; और

(ग) क्या माननीय मंत्री ने इस संबंध में कभी कोई स्पष्टीकरण दिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जी, हां। मैंने न केवल मुसलमानों को बल्कि सिख, ईसाई तथा बौद्ध जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को भी उनके आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए थे।

तथापि, अपने विचारों को व्यक्त करते समय, मैंने स्पष्ट किया था कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव सभी वर्गों के साथ विचार-विमर्श करके आम सहमति के बाद लाया जाएगा।